



Neutral Citation No.- 2026:AHC:61101

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 2402 वर्ष 2026

रिंकू कुशवाहा

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पर्वत सिंह, सरिता कुमारी मौर्या, सुनील कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कुशवाहा की ओर से पक्ष रख रहे श्री ललित श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक रिंकू कुशवाहा की ओर से केस अपराध संख्या 0518, वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं धारा 112, 318(4) बी.एन.एस. तथा धारा 8/13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024, थाना मेडिकल, जनपद मेरठ में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किए जाने हेतु प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे उसके इकबालिया बयान के आधार पर इस मामले में संलिप्त किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 05.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान आवेदक के मोबाइल फोन का परीक्षण किया गया और यह तथ्य सामने आया कि एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी ने आवेदक के खाते में 13,000/- रुपये स्थानांतरित किए हैं।
5. आवेदक को आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे उसके इकबालिया बयान के आधार पर इस मामले में संलिप्त किया गया है। आवेदक

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 05.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। एक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी ने आवेदक के खाते में 13,000/- रुपये स्थानांतरित किए हैं।
6. तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और अभिलेखों से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. गिरफ्तारी की स्थिति में, उपरोक्त केस अपराध में शामिल आवेदक **रिंकू कुशवाहा** को 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-
- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं डालेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले के खुलने, (ii) आरोप विरचित होने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने की नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
 - (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

23 मार्च, 2026

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।